न्यायालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा, जिला–बेमेतरा(छ0ग0)
(पीठासीन अधिकारी– उमेश कुमार उपाध्याय)
।। दांडिक कार्य–विभाजन आदेश वर्ष 2023 ।।

No.119./Work Distri./CJM/2023 **Bemetara, Dated -10/10/2023**

मैं उमेश कुमार उपाध्याय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेमेतरा (छ0ग0) पूर्व में जारी किए गए समस्त दांडिक कार्य विभाजन संबंधी आदेशों को अतिष्ठित करते हुए दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 की धारा 14 (1) एवं 15 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिविल जिला बेमेतरा (छ.ग.) में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के मध्य दाण्डिक प्रकरणों एवं कार्यों का विभाजन निम्न प्रकार से करता हूँ, जो माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बेमेतरा, जिला–बेमेतरा (छ0ग0) के अनुमोदन दिनांक से प्रभावशील होगा :–

कं0	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	आरक्षी केन्द्र	कार्य विभाजन
(1)	स्तम्भ कं.–(2)	स्तम्भ कं.–(3)	स्तम्भ कं.–(4)
01.	श्री उमेश कुमार उपाध्याय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा (छ.ग.)	थाना– (1) सिटी कोतवाली बेमेतरा एवं उससे संबंधित पुलिस चौकियां खण्डसरा और देवरबीजा, (2) थाना–बेरला एवं उससे संबंधित पुलिस चौकी कंडरका, (3) थाना नांदघाट एवं उससे संबंधित पुलिस चौकी मारो, (4) यातायात थाना	(1) स्तम्भ कं0–3 के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्रों व उनसे संबंधित पुलिस चौकियों से उत्पन्न होने वाले समस्त (धारा–138, परकाम्य लिखत अधिनियम, भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 363, 509, 509क, 509ख एवं 498ए के मामलों को छोड़कर) आपराधिक मामलों, जिसमें एन.डी.पी.एस. एक्ट 1955 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है, का निराकरण करना। (2) नगर पालिका बेमेतरा से सम्बद्ध नगर पालिका अधिनियम के तहत् पेश समस्त दांडिक मामलों का निराकरण करना। (3) यातायात पुलिस बेमेतरा द्वारा पेश समस्त आपराधिक प्रकरणों का निराकरण करना। (4) किसी विधि, अधिनियम, नियम, आदेश या केंद्र सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार की किसी अधिसूचना द्वारा अनन्यतः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के श्रवण क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी दांडिक प्रकरण।

			(5) सिविल जिला बेमेतरा (छ.ग.) के समस्त थाना एवं पुलिस चौकी क्षेत्र के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) से संबंधित प्रकरणों का निराकरण करना। (6) बेमेतरा मुख्यालय से आबकारी विभाग द्वारा पेश परिवाद–पत्र का निराकरण तथा उक्त विभाग द्वारा पेश समस्त अभियोग पत्र (साजा न्यायालय के क्षेत्राधिकार को छोड़कर) का निराकरण करना। (7) सिविल जिला बेमेतरा से सम्बद्ध ऐसे अन्य प्रकरण जो इस कार्य विभाजन आदेश में आबंटित नहीं है तथा ऐसे प्रकरण जो किसी विधि, अधिनियम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा द्वारा ही विचारणीय है,उनका निराकरण करना। (8) ऐसे समस्त प्रकरण जो किसी अन्य मजिस्ट्रेट के न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं या जिनके संबंध में यह विवाद हो कि वह प्रकरण कहां प्रस्तुत किया जाएगा, का निराकरण करना। (9) सिविल जिला बेमेतरा के समस्त थाना क्षेत्रों से उद्भूत खारिजी प्रकरणों का निराकरण करना। (10) माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर(छ.ग.) एवं माननीय सत्र न्यायाधीश,बेमेतरा (छ0ग0) द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों एवं कार्यों का निराकरण करना।
02.	श्रीमती तनुश्री गवेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेमेतरा (छ.ग.)	(1) थाना–दाढ़ी (2) थाना–चंदनु (3) महिला सेल एवं उससे संबंधित चौकियां	(01) स्तम्भ क्र0–3 के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्रों व उनसे संबंधित पुलिस चौकियों से उत्पन्न होने वाले छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा–34 (2) से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर अन्य समस्त आपराधिक मामलों, जिसमें परिवाद प्रकरण एवं एन.डी.पी.एस. एक्ट 1955 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है, का निराकरण करना। (02) व्यवहार न्यायालय साजा के क्षेत्राधिकार की सीमा को छोड़कर, बेमेतरा जिले के अंतर्गत समस्त आरक्षी केंद्रों एवं उनकी चौकियों से उद्भूत भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 363, 509, 509क, 509ख के मामलों का

			विधिवत् संज्ञान लेकर निराकरण करना। (03) आरक्षी केंद्र नांदघाट एवं उससे संबंधित पुलिस चौकी मारो, थाना– दाढ़ी एवं थाना– चंदनु के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद प्रकरणों का विधिवत् संज्ञान लेकर निराकरण करना। (04) थाना बेरला एवं उससे संबंधित चौकी कंडरका, थाना–दाढ़ी, महिला सेल, बेमेतरा, थाना–अजाक एवं उससे संबंधित पुलिस चौकियों से उत्पन्न खात्मा प्रकरणों का विधिवत निराकरण करना। (05) किसी विधि, अधिनियम, नियम, आदेश या केंद्र सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार की किसी अधिसूचना द्वारा स्तंभ कमांक –3 के स्थानीय क्षेत्राधिकार में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के श्रवण क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी दांडिक प्रकरण, (उन मामलों को छोड़कर, जिनका संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार, इस कार्यविभाजन आदेश में, किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है।) (06) माननीय सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा, एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेमेतरा द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों एवं कार्यों का निराकरण करना।
03.	श्रीमती अनिता रावटे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेमेतरा (छ.ग.)	(1) थाना नवागढ़ (2) थाना–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अजाक)	(01) स्तम्भ कं0–3 के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्रों व उनसे संबंधित पुलिस चौकियों से उत्पन्न होने वाले समस्त (भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 363, 509, 509क, 509ख के मामलों को छोड़कर) आपराधिक मामलों, जिसमें एन. डी.पी.एस. एक्ट 1955 के अल्प मात्रा तक के प्रकरण शामिल है, का निराकरण करना। (02) व्यवहार न्यायालय साजा के क्षेत्राधिकार की सीमा को छोड़कर बेमेतरा जिले के अंतर्गत समस्त थाना क्षेत्रों एवं उनकी चौकियों से उद्भुत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत उत्पन्न प्रकरणों एवं भारतीय दंड संहिता की धारा–498ए के अपराध से संबंधित समस्त मामलों का विधिवत् संज्ञान लेकर निराकरण करना।

			(03) आरक्षी केंद्र सिटी कोतवाली बेमेतरा एवं उससे संबंधित चौकियां, थाना– बेरला एवं उससे संबंधित चौकी, एवं थाना–नवागढ़ के स्थानीय क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत परिवाद प्रकरणों का विधिवत् संज्ञान लेकर निराकरण करना। (04) आरक्षी केंद्र सिटी कोतवाली बेमेतरा एवं उससे संबंधित चौकियां, थाना– नांदघाट एवं उससे संबंधित चौकी मारो, थाना–नवागढ़, थाना चंदनु से उत्पन्न खात्मा प्रकरणों का विधिवत निराकरण करना। (05) किसी विधि, अधिनियम, नियम, आदेश या केंद्र सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार की किसी अधिसूचना द्वारा स्तंभ कमांक –3 के स्थानीय क्षेत्राधिकार में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के श्रवण क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी दांडिक प्रकरणों, (उन मामलों को छोड़कर, जिनका संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार, इस कार्यविभाजन आदेश में, किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है) का निराकरण करना। (06) माननीय सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा, जिला–बेमेतरा (छ०ग०) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा (छ.ग.) द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों एवं कार्यों का निराकरण करना।
04.	श्रीमती अंकिता मुदलियार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साजा (छ.ग.)	थाना– (A) थाना– साजा तथा उससे संबंधित चौकी देवकर, (B) थाना–परपोड़ी, (C) थाना– थान खम्हरिया	(01) स्तम्भ कं.3 के क्षेत्राधिकार के आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले, विशेष न्यायालयों द्वारा सीधे संज्ञान में लिये जाने वाले मामलों को एवं छ.ग. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(2), जिनमें 05 लीटर या इसके अधिक शराब जप्त हुई हो, के दांडिक प्रकरणों को छोड़कर, शेष समस्त आपराधिक मामलों का एवं समस्त खात्मा प्रकरणों का निराकरण करना। (02) किसी विधि, अधिनियम, नियम, आदेश या केंद्र सरकार या छत्तीसगढ़ सरकार की किसी अधिसूचना द्वारा स्तंभ कमांक –3 के स्थानीय क्षेत्राधिकार में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के श्रवण क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी दांडिक प्रकरणों, (उन

			मामलों को छोड़कर, जिनका संज्ञान लेने का क्षेत्राधिकार, इस कार्यविभाजन आदेश में, किसी अन्य मजिस्ट्रेट को दिया गया है) का संज्ञान लेकर विधिपूर्वक निराकरण करना। (03) आबंटित थाना क्षेत्र से संबंधित आबकारी विभाग द्वारा पेश परिवाद पत्र का निराकरण, उक्त विभाग द्वारा पेश समस्त अभियोग पत्र जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेमेतरा के क्षेत्राधिकारिता में न हो, का निराकरण करना। (04) व्यवहार न्यायालय साजा के न्यायालय की क्षेत्राधिकार की सीमा के अन्तर्गत उत्पन्न समस्त दांडिक परिवाद एवं धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत् प्रस्तुत परिवाद एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2006 के मामलों का विधिवत् संज्ञान लेकर निराकरण करना। (05) माननीय सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा, जिला–बेमेतरा (छ0ग0) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा (छ.ग.) द्वारा समय–समय पर सौंपे गए मामलों एवं कार्यों का निराकरण करना।

–:: न्यायिक मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति की दशा में कार्य संपादन हेतु व्यवस्था ::–

।। <u>परिशिष्ट–ए</u> ।।

सरल क्रं0	अनुपस्थित या अवकाश पर रहने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आवश्यक कार्य संपादन करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद		
(1)	स्तम्भ कं.–(1)	स्तम्भ कं.–(2)	स्तम्भ कं.–(3)	स्तम्भ कं.–(4)
01.	श्री उमेश कुमार उपाध्याय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा (छ.ग.)	श्रीमती तनुश्री गवेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेमेतरा (छ.ग.)	श्रीमती अनिता रावटे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेमेतरा (छ.ग.)	श्रीमती अंकिता मुदलियार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साजा (छ.ग.)
02.	श्रीमती तनुश्री गवेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेमेतरा (छ.ग.)	श्रीमती अनिता रावटे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेमेतरा	श्री उमेश कुमार उपाध्याय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट	श्रीमती अंकिता मुदलियार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम

		(छ.ग.)	बेमेतरा (छ.ग.)	श्रेणी साजा (छ.ग.)
03.	श्रीमती अनिता रावटे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेमेतरा (छ.ग.)	श्रीमती तनुश्री गवेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा (छ.ग.)	श्री उमेश कुमार उपाध्याय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा (छ.ग.)	श्रीमती अंकिता मुदलियार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साजा (छ.ग.)
04.	श्रीमती अंकिता मुदलियार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साजा (छ.ग.)	श्रीमती तनुश्री गवेल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेमेतरा (छ.ग.)	श्रीमती अनिता रावटे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा (छ.ग.)	श्री उमेश कुमार उपाध्याय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा (छ.ग.)

।। परिशिष्ट–बी ।।

–:: धारा 164 दं.प्र.सं. के अंतर्गत कथन एवं संस्वीकृतियां ::–

धारा 164 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत संस्वीकृतियां एवं कथन निम्न तालिका के अनुसार लेखबद्ध किये जावेंगे :–

कं.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केंद्र एवं संबंधित मामले
01.	**श्रीमती तनुश्री गवेल** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेमेतरा(छ.ग.)	**1– व्यवहार न्यायालय साजा के क्षेत्राधिकार की सीमा को छोड़कर बेमेतरा जिले के अंतर्गत समस्त थाना क्षेत्रों एवं उनकी चौकियों से उद्भुत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से संबंधित अपराध, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं 376–क से 376–च के मामले।** **2– बेमेतरा जिले के आरक्षी केंद्र सिटी कोतवाली बेमेतरा एवं उससे संबंधित पुलिस चौकियां खण्डसरा और देवरबीजा, थाना–बेरला एवं उससे संबंधित पुलिस चौकी कंडरका, थाना नवागढ़, थाना–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अजाक), थाना– साजा एवं उससे संबंधित चौकी– देवकर, से उद्भूत अन्य सभी मामले, जिनका परिशिष्ट– बी के किसी स्तंभ में विशिष्टतया उल्लेख नहीं किया गया है।**
02.	**श्रीमती अनिता कोशिमा रावटे** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेमेतरा(छ.ग.)	**1– व्यवहार न्यायालय साजा के क्षेत्राधिकार सहित, बेमेतरा जिले के अंतर्गत समस्त थाना क्षेत्रों एवं उनकी चौकियों से उद्भुत भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए, 354बी, 354सी, 354डी, 363, 509, 509क, 509ख के मामले।** **2– बेमेतरा जिले के आरक्षी केंद्र थाना नांदघाट एवं उससे संबंधित पुलिस चौकी मारो, थाना– चंदनु, थाना–दाढ़ी, महिला सेल बेमेतरा एवं उससे संबंधित चौकियां, थाना– परपोड़ी एवं थाना– थान खम्हरिया से उद्भूत अन्य सभी मामलों में, जिनका परिशिष्ट– बी के किसी स्तंभ में**

		विशिष्टतया उल्लेख नहीं किया गया है।
03.	**श्रीमती अंकिता मुदलियार** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साजा(छ.ग.)	**व्यवहार न्यायालय साजा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त थाना क्षेत्रों एवं उनकी चौकियों से उद्भुत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 से संबंधित अपराध, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं 376–क से 376–च के अपराध से संबंधित मामले एवं माननीय सत्र न्यायालय तथा विशेष न्यायालयों द्वारा अनन्यतः विचारण योग्य मामलों में।**

।। परिशिष्ट–सी ।।

स्वापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 52–A के अंतर्गत इन्वेन्टरी तैयार करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं उनसे संबंधित आरक्षी केंद्रः–

क्रं.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	पुलिस स्टेशन
01.	**श्रीमती तनुश्री गवेल** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेमेतरा (छ.ग.)	**सिटी कोतवाली बेमेतरा एवं उससे संबंधित पुलिस चौकियां खण्डसरा और देवरबीजा से थाना नवागढ़ के सभी मात्राओं के मामले एवं थाना– परपोड़ी एवं थाना– थान खम्हरिया के अल्प मात्रा के मामलों में।**
02.	**श्रीमती अनिता कोशिमा रावटे** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेमेतरा (छ.ग.)	**थाना–बेरला एवं उससे संबंधित पुलिस चौकी कंडरका, थाना नांदघाट एवं उससे संबंधित पुलिस चौकी मारो, थाना– दाढ़ी के सभी मात्राओं के मामले एवं थाना– साजा एवं उससे संबंधित चौकी– देवकर के अल्प मात्रा के मामलों में।**
03.	**श्रीमती अंकिता मुदलियार** न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साजा, जिला– बेमेतरा (छ.ग.)	**थाना– साजा एवं उससे संबंधित चौकी– देवकर, थाना– परपोड़ी एवं थाना– थान खम्हरिया के अल्प मात्रा के अतिरिक्त सभी मात्राओं के मामलों में।**

स्थान–बेमेतरा
दिनांक–10/10/2023

(उमेश कुमार उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

-: अत्यावश्यक टीप :-

(1) किसी मामले के संबंध में कोई शंका की स्थिति उत्पन्न होने पर, मुख्यालय में पदस्थ वरिष्ठ मजिस्ट्रेट, ऐसे मामलों का निराकरण करेंगे।

(2) ऐसे अन्य प्रकरण या न्यायिक कार्य जिसका विशिष्टि उल्लेख इस आदेश में न हो, वे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा के न्यायालय में प्रस्तुत होंगे।

(3) प्रत्येक मजिस्ट्रेट, अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुति के पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा को तत्संबंध में अवगत करायेंगे एवं अवकाश पर जाने की सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा को एवं कार्य विभाजन आदेश के अनुसार उनके अवकाश में रहने पर उनका कार्य करने वाले संबंधित मजिस्ट्रेट को प्रस्थान पूर्व अवकाश की सूचना अनिवार्य रूप से देंगे।

(4) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा के अवकाश में होने की स्थिति में अवकाश पर जाने वाले मजिस्ट्रेट टेलीफोन/मोबाईल के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा को अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुति के पूर्व सूचित करेंगे।

(5) अवकाश के दिनों में मुख्यालय बेमेतरा एवं साजा में कम से कम एक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रिमाण्ड कार्य हेतु अपने स्टॉफ के साथ उपस्थित रहेंगे।

(6) अवकाश दिवसों में विशेष न्यायालयों से संबंधित रिमाण्ड कार्य भी अवकाश दिवस में उपस्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

(7) अवकाश के दिनों में रिमाण्ड हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा द्वारा लगाये गये रिमाण्ड ड्यूटी आदेश के अनुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड कार्य का सम्पादन करेंगे। यदि रिमाण्ड ड्यूटी आदेश के अनुसार नियत ड्यूटी दिनांक को संबंधित मजिस्ट्रेट को मुख्यालय से बाहर जाने की आवश्यकता हो तो न्यायिक मजिस्ट्रेट आपस में तत्संबंध में सामंजस्य स्थापित कर लिखित में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा को सूचित करने के उपरांत ही मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करेंगे।

(8) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा (छ.ग.) की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्यालय से बाहर प्रस्थान नहीं करेंगे।

माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेमेतरा (छ.ग.) के अनुमोदनार्थ सादर प्रस्तुत।

10/10/23

स्थान–बेमेतरा
दिनांक–10/10/2023

(उमेश कुमार उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बेमेतरा,जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

अनुमोदित।
10.10.2023
District & Sessions Judge
Bemetara (C.G.)

<u>न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बेमेतरा जिला–बेमेतरा (छ0ग0)</u>

पृष्ठां.कं0–119(5)/मु.न्या.मजि./2023 बेमेतरा, दिनांक–10/10/2023

<u>प्रतिलिपि</u> :–

(1) माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(2) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बेमेतरा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

(3) माननीय प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बेमेतरा (छ.ग.)

(4) माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो (एफ.टी.सी.), बेमेतरा (छ.ग.)

(5) श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, सी.आई.एस. सेन्टर कम्प्यूटर शाखा (न्यायिक) बेमेतरा की ओर सूचनार्थ

(6) श्रीमान् जिला दण्डाधिकारी बेमेतरा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं उनके अधीनस्थ संबंधित विभागों को संसूचित कराये जाने की अपेक्षा सहित प्रेषित।

(7) पुलिस अधीक्षक, बेमेतरा (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं पालनार्थ उनके अधीनस्थ समस्त थाना प्रभारियों/पुलिस चौकी प्रभारियों को संसूचित करने की अपेक्षा के साथ प्रेषित।

(8) श्रीमती तनुश्री गवेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेमेतरा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(9) श्रीमती अनिता रावटे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बेमेतरा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(10) श्रीमती अंकिता मुद्लियार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी साजा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(11) अध्यक्ष किशोर न्याय बोर्ड बेमेतरा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।

(12) जिला अभियोजन अधिकारी, बेमेतरा (छ.ग.) को सूचनार्थ।

(13) उपसंचालक, जिला लोक अभियोजन कार्यालय बेमेतरा की ओर सूचनार्थ/पालनार्थ एवं अतिरिक्त जिला अभियोजक साजा एवं संबंधितों को संसूचित करने की अपेक्षा सहित प्रेषित।

(14) अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, बेमेतरा जिला – बेमेतरा (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

(15) अध्यक्ष अधिवक्ता संघ, साजा को सूचनार्थ प्रेषित।

(उमेश कुमार उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बेमेतरा,जिला–बेमेतरा (छ.ग.)

(उमेश कुमार उपाध्याय)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला– बेमेतरा (छ.ग.)

[illegible]